-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कमासिन पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले वंछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि श्रीमती सुनैना पत्नी राजकुमार नि0 ग्राम पैगम्बर थाना गिरवां नें दिनांक 28.08.2025 को थाना कमासिन पर प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होने अपनी पुत्री की शादी दिनांक 20.04.2024 को थाना कमासिन के ग्राम जामू के रहने वाले भइयाराम पुत्र भगवानदीन राजपूत से की थी। शादी के बाद उनकी पुत्री को पति भइयाराम व उसके परिवारीजन दहेज की मांग को लेकर मारते-पीटते और प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग को लेकर उन सब ने मिलकर दिनांक 13.08.2025 को मेरी पुत्री की हत्या कर दी। इस संबंध में थाना कमासिन पर भइयाराम आदि के विरुद्ध मु0अ0सं0 215/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.09.2025 को थाना कमासिन पुलिस द्वारा अभियुक्त भइयाराम को ओरन-कमासिन रोड गुमटी ग्राम साड़ासानी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. भइयाराम राजपूत पुत्र भगवानदीन राजपूत निवासी ग्राम जामू थाना कमासिन जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अ0सं0 215/25 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी थाना कमासिन जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार सैनी
2. कां0 विकास यादव
3. कां0 दिलीप कुमार
4. कां0 निर्भय यादव